

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

मु0नं0-89/2020

(जीसीएमएस नम्बर 2021/96)

उनवान -सरकार बनाम रामकुमार ठाकुर मैसर्स मिष्ठान भण्डार तोप तिराहा धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -08.07.2021

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री विश्वबन्धु गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री रामकुमार पुत्र श्री लालसिंह जाति ठाकुर मैसर्स ठाकुर मिष्ठान भण्डार तोप तिराहा धौलपुर निवासी आदर्श विद्यामंदिर स्कूल के सामने घण्टाघर धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.10.2020 को अभियुक्त/अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण के दौरान दुकान पर लगभग 20 किलोग्राम वर्फी (मावा मिठाई) आम जनता के विक्रय करने हेतु रखी थी। उक्त वर्फी (मावा मिठाई) में मिलावट का शक होने पर उक्त वर्फी (मावा मिठाई) में से 2 किलोग्राम वर्फी (मावा मिठाई) वास्ते नमूना जाँच अभियुक्त से खरीदी गयी। उक्त वर्फी (मावा मिठाई) नमूना डी-1878 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जाँच रिपोर्ट एलएस/596/एक्ट/2020/668 दिनांक 30.10.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय की गयी वर्फी (मावा मिठाई) अवमानक (सबस्टैंडर्ड) प्रकृति की होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नवृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड वर्फी (मावा मिठाई) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड वर्फी (मावा मिठाई) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री रामकुमार पुत्र श्री लालसिंह जाति ठाकुर मैसर्स ठाकुर मिष्ठान भण्डार तोप तिराहा धौलपुर निवासी आदर्श विद्यामंदिर स्कूल के सामने घण्टाघर धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 4000/-रुपये (चार हजार रु0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज0)